रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271711
CG-DL-E-10042026-271711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1758]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
No. 1758]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1827(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 132 तारीख 27 जनवरी, 2025, जो भारत के साप्ताहिक राजपत्र तारीख जनवरी 26, —फरवरी —1 2025, और का. आ. 5869(अ) तारीख 17 दिसंबर, 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 18 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पैट्रोलियम पदार्थ परिवाहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विसाख (आन्ध्र प्रदेश) से रायपुर (छत्तीसगढ) पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त साप्ताहिक राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ;

अनुसूची

जिलाः विशाखपट्टणम				राज्यः आन्ध्र प्रदेश	
क्रम संख्या	गाँव का नाम	मंडल का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
				एकड	सेन्ट्स
1	2	3	4	5	6
1	1. पुल्लमबोटलपालेम-50	गोपालपट्टणम	15	00	41
2	2. नरव-17	पेंदुर्ती	410	00	13
3			482	00	18
4			413	00	01
5			414	00	02
6			416/1	00	27
7			420/15	00	28
8	3. जेरीपोतुपालेम-35	पेंदुर्ती	76	01	90
9			10	00	59
10			52	00	59
11			72	00	48
12			19	00	62
13			17	00	17
14			16	00	37
15			13	00	36
16			14	00	50
17			68	00	28
18			70	00	63
19			51	00	07

1	2	3	4	5	6
20			50	00	34
21			49	00	20
22			21	00	61
23			25	00	34
24			26	00	13
25			20	00	18
26			15	00	71
27			9	00	61
28			1162	00	20
29			573	00	08
30			569	00	12
31			570	00	16
32			568	00	09
33			435	00	19
34			453	00	09
35			452	00	07
36			429	00	30
37			456	00	27
38	4. चींतगटल-37	पेंदुर्ती	60	00	28
39			61	00	20
40			59	01	08
41			66	00	01
42			67	00	55
43	5. पिन्नागडी-7/1	पेंदुर्ती	164	00	53
44			163	00	17
45			162	00	09
46			172	00	05
47			173	00	29
48			188	00	65
49			189	00	34
50			190	00	40
51			191	00	14
52			159	00	53
53			153	00	17
54			154	00	72

1	2	3	4	5	6
55			155	00	02
56			152	00	01
57			126	00	01
58			122	00	06
59			125	00	44
60			118	00	07
61			131	00	80
62			133	00	16
63			136	00	41
64			135	00	04
65			146	00	23
66			145	02	86
67			17	00	01
68			5	00	11
69			7	02	52
70	6. गरपल्ले-1	पेंदुर्ती	13	01	02
71			10	00	79

[फा. सं. आर-12025(11)/12/2018-ओआर-I/ई-25587]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

S.O. 1827(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 132 dated the 27th January, 2025, and S.O. 5869 dated the 17th December, 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as "the said Act"), and published in the Weekly Gazette of India dated January 26 – February 1, 2025, and in the Extraordinary Gazette of India dated 18th December, 2025 the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification, for the purpose of laying a pipeline for transportation of petroleum products from Visakh (Andhra Pradesh) to Raipur (Chhattisgarh) in the State of Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Weekly Gazette notification were made available to the public on 30th December, 2025;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and being satisfied that the said land is required for the purpose of laying the said pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is acquired for the purpose of laying the said pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances;

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 According to section 13 no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline;

SCHEDULE

District: Visakhapatnam				State: Andhra Pradesh	
Sl. No.	Name of Village	Name of Mandal	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
1	2	3	4	5	6
1	1. Pullambhotlapalem-50	Gopalapatnam	15	00	41
2	2. Narava-17	Pendurthi	410	00	13
3			482	00	18
4			413	00	01
5			414	00	02
6			416/1	00	27
7			420/15	00	28
8	3. Jerripotulapalem-35	Pendurthi	76	01	90
9			10	00	59
10			52	00	59
11			72	00	48
12			19	00	62
13			17	00	17
14			16	00	37
15			13	00	36
16			14	00	50
17			68	00	28
18			70	00	63
19			51	00	07
20			50	00	34
21			49	00	20
22			21	00	61
23			25	00	34
24			26	00	13
25			20	00	18
26			15	00	71
27			9	00	61
28			1162	00	20
29			573	00	08
30			569	00	12
31			570	00	16
32			568	00	09
33			435	00	19
34			453	00	09
35			452	00	07
36			429	00	30
37			456	00	27
38	4. Chintagatla-37	Pendurthi	60	00	28
39			61	00	20
40			59	01	08
41			66	00	01
42			67	00	55
43	5. Pinnagadi-7/1	Pendurthi	164	00	53
44			163	00	17
45			162	00	09

1	2	3	4	5	6
46			172	00	05
47			173	00	29
48			188	00	65
49			189	00	34
50			190	00	40
51			191	00	14
52			159	00	53
53			153	00	17
54			154	00	72
55			155	00	02
56			152	00	01
57			126	00	01
58			122	00	06
59			125	00	44
60			118	00	07
61			131	00	80
62			133	00	16
63			136	00	41
64			135	00	04
65			146	00	23
66			145	02	86
67			17	00	01
68			5	00	11
69			7	02	52
70	6. Gorapalle-1	Pendurthi	13	01	02
71			10	00	79

[F. No. R-11025(11)/12/2018-OR-I/E-25587]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA